


क्र. सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	आपत्ति का जवाब
1	श्री शिव प्रसाद पुत्र स्व० गोपाल दत्त ग्राम बैडाणू पो० लंगासू कर्णप्रयाग	प्रार्थी को सड़क चौड़ीकरण - चिन्हीकरण से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।	कि०मी०-409+750 में 15 मी० प्रार्थी के मकान के समने तीव्र मोड होने के कारण एलाईमेंट परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। आवासीय मकान के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सरकारी नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जायेगा।
2	श्री कुशलानन्द पुत्र स्व० गोपाल दत्त ग्राम बैडाणू पो० लंगासू कर्णप्रयाग	प्रार्थी को सड़क चौड़ीकरण - चिन्हीकरण से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में	कि०मी०-409+750 में 15 मी० में प्रार्थी के मकान के समने तीव्र मोड होने के कारण एलाईमेंट परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। आवासीय मकान के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सरकारी नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जायेगा।
3	श्री रितेश कुमार पुत्र राम प्रसाद ग्राम उमराकोट बैडाणू पो० लंगासू तहसील कर्णप्रयाग	प्रार्थी को सड़क चौड़ीकरण - चिन्हीकरण से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में	कि०मी०-409+650 में 15 मी० प्रार्थी के मकान, भोजनालय के समने तीव्र मोड होने के कारण एलाईमेंट परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। आवासीय मकान के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सरकारी नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जायेगा।
4	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद ग्राम उमराकोट बैडाणू पो० लंगासू तहसील कर्णप्रयाग	प्रार्थी को सड़क चौड़ीकरण - चिन्हीकरण से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में	कि०मी०-409+650 में 15 मी० प्रार्थी के मकान, भोजनालय के समने तीव्र मोड होने के कारण एलाईमेंट परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। आवासीय मकान के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सरकारी नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जायेगा।
5	श्री राजेश	प्रार्थी के आवासीय	कि०मी०-409+700 में 15 मी० में प्रार्थी के मकान के समने


	पुत्र गंगाधर ग्राम बैडाणू पो० लंगासू कर्णप्रयाग	मकान के चिन्हकरण के सम्बन्ध में।	तीव्र मोड होने के कारण एलाईमेन्ट परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। आवासीय मकान के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सरकारी नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जायेगा।
6	श्री अयोध्या प्रसाद पुत्र गंगाधर ग्राम बैडाणू पो० लंगासू कर्णप्रयाग	प्रार्थी के आवासीय मकान के चिन्हकरण के सम्बन्ध में।	कि०मी०-409+700 में 15 मी० में प्रार्थी के मकान के समने तीव्र मोड होने के कारण एलाईमेन्ट परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। आवासीय मकान के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सरकारी नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जायेगा।
7	श्री बी० के० नौटियाल ग्राम उत्तरों तहसील कर्णप्रयाग ।	प्रार्थी के आवासीय मकान के चिन्हकरण के सम्बन्ध में।	कि०मी०-407+900 मौके पर पूर्व में पूर्ण निरीक्षण किया जा चुका है। एलाईमेन्ट की Geometry को देखते हुए किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।
8	मा० विधायक जी के माध्यम से प्राप्त समस्त प्रार्थीगण प्रेमनगर कर्णप्रयाग समस्त प्रार्थीगण कर्णप्रयाग । श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	एन० एच० 58 के चौड़ीकरण होने के कार्य में दक्ष अभियंताओ की एक तकनीकी समिति गठित कर उन उनसे उक्त समरेखण स्थल पर निरीक्षण करवाने के सम्बन्ध में।	अभियंताओ द्वारा निरीक्षण किया गया एवं समरेखण स्थल की पुनः जांच की गई। एलाईमेन्ट में सडक Geometry के हिसाब से परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है।
9	श्री शम्भू लाल पुत्र गफलू लाल ग्राम लंगासू कर्णप्रयाग	प्रार्थी के एन० एच० 58 के चौड़ीकरण होने के कारण आवासीय भवन को क्षति होने के संबंध में	कि०मी०-408+200 में 15 मी० में चौड़ीकरण किया जायेगा और भवन जो कि मोड पर मौजूद है पुनतः जांच मौके पर की गई अतः एलाईमेन्ट की Geometry को देखते हुए परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।
10	श्री शान्ति	ऑल-वेदर रोड बनने	कि०मी०-408+000 मौके पर एलाईमेन्ट की Geometry को

	प्रसाद मैखुरी पुत्र श्री गिरधर प्रसाद मैखुरी ग्राम उत्तरों, लंगासू कर्णप्रयाग ।	पर मेरे मकान का नुकसान होने के सम्बन्ध में	देखते हुए परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। मकान के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सरकारी नियमानुसार मुआवजा दिया जायेगा।
11	समस्त प्रार्थीगण प्रेमनगर कर्णप्रयाग समस्त प्रार्थीगण कर्णप्रयाग ।	ऑल-वेदर रोड बनने पर परिसम्पत्ति के नुकसान बाबत।	शहर में 12 मी० में चौड़ीकरण किया जायेगा। मोड़ों का एलाईमेंट सडक की Geometry के हिसाब से किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। आवासीय सम्पत्ति के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सरकारी नियमानुसार मुआवजा दिया जायेगा।
12	श्री के०एल०शर्मा, उपाध्यक्ष भाजपा मण्डल कर्णप्रयाग ग्राम व पो० लंगासू कर्णप्रयाग ।	एन० आर० एच० व राजस्व टीम द्वारा मानक से काम नहीं किए जाने के सम्बन्ध में	सरकार द्वारा उचित मानकों के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है।
14	श्री बवलन्त सिंह राणा पुत्र स्व० श्याम सिंह राणा निवासी ग्राम थल्ली लगगा भट्टनगर, वार्ड नं०-3 थल्लीबैण्ड	प्रार्थी के खसरा सं० 105 मध्ये 0.005, एवं खसरा सं० 106 मध्ये 0.005 है भूमि अर्जन तथा तीन मंजिला भवन का 7.65x 8.25 वर्ग मी. भी समरेखण में आने के संबंध में	शहर में 12 मी० में ही चौड़ीकरण किया जायेगा जो कि मौके पर मौजूद है। मौके पर खसरा सं० 106 हमारे समरेखण में नहीं आ रहा है। सिर्फ खसरा सं० 105 में ही भूमि अर्जन होना है जो कि परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।

	गौचर कर्णप्रयाग		
15.	श्री पंकज डिमरी पुत्र स्व0 हरिकृष्ण डिमरी निवासी-प्रे मनगर कर्णप्रयाग	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 7 के कि0 मी0 सं 399. 745 पर खेत न0 852, 853,854,856,860,861,8 62 पर प्राथी पंकज डिमरी का 1.0.Cका पैट्रोल पम्प स्वीकृत होने के संबंध में	खसरा नं- 856, 860, 861 और 862 समरेखण में नहीं आ रहा है। खसरा नं-852, 853, 854 का भूमि अधिग्रहण आवश्यकता अनुसार किया जायेगा।
16.	श्री पंकज डिमरी स्व0 हरिकृष्ण डिमरी निवासी प्रेमनगर कर्णप्रयाग	प्रार्थी का खसरा सं0 अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है, 850 को अधिग्रहण किया जा रहा है, 843 को अधिग्रहण प्रस्ताव मे शामिल करने सम्बन्ध में, 744, 816, 845 को अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है, 849,848,847,818,842 व 798 को पूर्व में ही N.Z.A. के नाम दर्ज होने के सम्बन्ध में, खेत नं0 846 व 817 (जो कि के केशर हिन्द भूमि है) को अधिग्रहण प्रस्ताव में शामिल होने के सम्बन्ध में, खेत नं0 813 व 822, को अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित होने के सम्बन्ध में, खेत नं0 600, 601, 713, 714, 715, 730, 731, 732, 738, 739, 740, 603 व 717 का अधिग्रहण में दो बार	खसरा नं- 818,813,822,600,601,713, और 714 समरेखण में नहीं आ रहा है। खसरा नं-850,843,744,816,845,849,848,847,842,798,846,817,715,73 0,731,732,738,739,740,603,717 का भूमि अधिग्रहण आवश्यकता अनुसार किया जायेगा।

		दज किए होने के सम्बन्ध में।	
17.	श्री पंकज डिमरी पुत्र स्व0 हरिकृष्ण डिमरी निवासी-प्रे मनगर कर्णप्रयाग	प्राथी के नाम राजस्व ग्राम कर्णप्रयाग के हाल खाता खतोनी 15 व 29 के खसरा न0 852,853, 854,860,861,861,862,8 65,838,839,841 म 0. 049 दर्ज है, 841 अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित था तथा इस के अतिरिक्त 839, 838, 852,853,854 भी सीमांकन के दायरे मे हाकने बाबत	खसरा नं- 860,861,862,865,838 समरेखण में नहीं आ रहा है। खसरा नं- 852,853,854,839,841,का भूमि अधिग्रहण आवश्यकता अनुसार किया जायेगा।

  
**Graduate Engineer**  
 National Highway & Infrastructure  
 Development Corporation Ltd.  
 Chamoli / Rudraprayag



2